

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - निम्बाहेड़ा)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ~~1432~~ ¹⁴⁴¹ दायर दिनांक 16/12/25 निर्णय दिनांक 16/12/25

| क्र.सं. | नाम | ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश | | |
|---------|--------------------|------------|-----|--|---|--|---|
| 1 | <u>निम्बाहेड़ा</u> | <u>412</u> | | महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>गारवा कपासन</u> | शुद्ध प्रविष्टी राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>गारवा कपासन</u> | तहसालीदर कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायान अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>निम्बाहेड़ा</u> प.ह. <u>निम्बाहेड़ा</u> खातासं <u>412</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। | |
| | | | | हस्ताक्षर पटवारी <u>ABorala</u> <u>16/12/25</u> <u>4 कार्ड</u> | हस्ताक्षर तहसीलदार <u>16/12/25</u> | हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार | पदेन सहायक कलक्टर कपासन सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ |

प्रतिलिपि पालनार्थ -

1. पटवारी पटवार मण्डल निम्बाहेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

तहसीलदार कपासन